Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 112 / 2019(2019 / 00154)

1. रघुवीरसिंह पुत्र रामदयाल
2. विजयलक्ष्मी पुत्री रामदयाल
   समस्त जाति दरोगा निवासीगण खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––वादीगण

बनाम

1. रामदयाल पुत्र रामकिशन
2. इलायची पुत्री रामकिशन
3. मोहनी पुत्री रामकिशन
   समस्त जाति दरोगा निवासीगण खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. उपपंजीयक अधिकारी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

6. राजेन्द्र पुत्र शंकर
7. गोवर्धन पुत्र शंकर
8. कालूराम पुत्र जयकिशन
9. शांति पुत्र जयकिशन
10. रामघणी पत्नि स्व. बालकिशन
11. देवीसिंह पुत्र स्व. बालकिशन
12. अजयसिंह दत्तक पुत्र सम्पत
13. धापू पत्नि स्व. भंवरलाल
14. विमला देवी पत्नि स्व. विनोदकुमार
15. रामदेव पुत्र स्व. विनोद कुमार
16. किस्मत पुत्री स्व. विनोद कुमार
    समस्त जाति दरोगा निवासीगण खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री रामसिंह राठौड – वकील वादी
श्री बृजकिशोर– वकील प्रतिवादी
(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम)

आदेश

दिनांक 05/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित। वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात वाके ग्राम खवास तहसील केकड़ी में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

विवरण आराजीयात (जमाबन्दी संवत 2072–75 के अनुसार)

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
674–307	2918	0.04	गै.मु.चाह
	2926	0.05	गै.मु.चाह
	2929	0.05	जाव1चाही1
	2930	0.03	गै.मु.चाह
	2931	0.09	चाही1जाव1
	किता – 5	कुल रकबा 0.25 हैक्ट	
675–607	2922	0.45	चाही1जाव1
	2924	0.01	गै.मु.चाह
	2928	0.45	जाव1चाही1
	2932	0.08	जाव1चाही1

उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात में वादीगण का 2/54 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

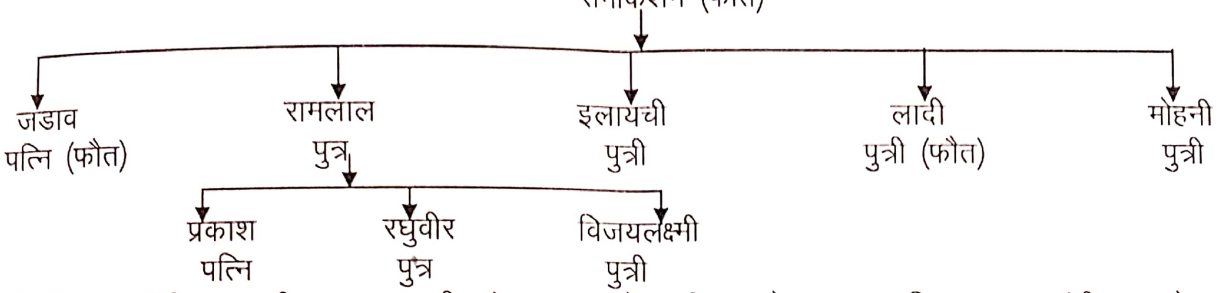

वादवर्णित आराजीयात जमाबन्दी संवत 2041 में वादीगण के दादा रामकिशन पुत्र मांगीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। श्री रामकिशन का स्वर्गवास हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 उपरोक्तानुसार अपने अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने वादीगण को आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही होने, आराजीयात से जबरन बैदखल करने, आराजीयात का बैचान करने की एलानियां धमकियां दी जिससे यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को वादीगण के हिस्से में संयुक्त कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने, आराजीयात को रहन, बैचान, हस्तांतरण इत्यादि नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में प्रार्थीया विमला देवी पत्नि स्व सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी खवास तहसील केकड़ी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी वास्ते पक्षकार बनने बाबत का पेंश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी विमला को पक्षकार बनाया गया। पत्रावली में प्रार्थीया विमला देवी द्वारा प्रार्थनापत्र वास्ते आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है–

वादी रघुवीर वगै द्वारा उक्त वाद रामदयाल पुत्र रामकिशन, इलायची पुत्री रामकिशन, मोहनी पुत्री रामकिशन तमाम जाति दरोगा निवासीगण खवास व 13 अन्य जनो के विरूद्ध पेश किया था जिसमें दिनांक 13.06.2019 को एक अंतरिम आदेश इस आशय का प्राप्त किया कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि का बैचान बक्शीस इत्यादि नही करे ना कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने से पहले ही विमला देवी पत्नि सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी खवास तहसील केकड़ी के नाम दिनांक 11.06.2019 को ही

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय पत्र रजि० करवा दिया था फिर भी वादीगण ने न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 13.06.2019 को रजि० विक्रय पत्र बैचान बक्सीस नही करने का अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी/वादी ने न्यायालय से बैचान बक्शीस न करने का अनुतोष ही मांगा है इसके अलावा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रार्थना पत्र/ दावे में नही मांगा है जबकि प्रकरण में विमला देवी ने उसके पक्ष में रजि० होने के बावजूद वादीगण ने उनको पार्टी नही बनाया तो विमला देवी ने आदेश 1 नियम 10 के तहत दिनांक 14.02.2022 को प्रार्थनापत्र पेश कर स्वयं के रजि० ऑनर होने के कारण पार्टी बनाने का न्यायालय से निवेदन किया जिस पर न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। वादीगण ने प्रतिवादीगण/अप्रार्थी 1 लगायत 3 को रजि० नही करवाने हेतु पाबन्द करने का अनुतोष मांगा था जबकिं रजि० दावा पेश करने से पहले ही हो चुकी, अन्य अनुतोष वादीगण ने न्यायालय से नही मांगा है। जो अनुतोष नही मांगा गया है वह न्यायालय दे भी नही सकता। इस कारण उक्त प्रकरण विधि विरूद्ध है व कानूनन चलने योग्य नही है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः विमला देवी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश कर वादीगण का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने एवं अन्तरिम आदेश दिनांक 13.06.2019 को खारिज कर प्रार्थिया विमला देवी पत्नि सत्यप्रकाश को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.06.2019 को जो रजि० विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है उसके आधार पर प्रार्थीया विमला देवी का नामान्तरण खोलने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 मे वादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके तहत वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 1 व 2 स्वीकार है, पेरा संख्या 3 कतई गलत एवं मिथ्या वर्णित होने से अस्वीकार है। पेरा संख्या 4 में वर्णित कथन यहां तक स्वीकार है कि प्रार्थिया विमला ने आदेश 1 नियम 10 के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया और माननीय न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार किया गया, शेष कथन कतई गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। पेरा संख्या 5 के संदर्भ में प्रार्थीगण वादीगण ने माननीय न्यायालय से जो अनुतोष मांगा है व कतई गलत एवं विधि विरूद्ध नही है। प्रार्थीगण वादीगण को यह जानकारी में नही था कि उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही उक्त वाद वर्णित आराजीयात का बैचान हो चुका है तथा शेष प्रार्थना कतई गलत एवं मिथ्या वर्णित होने से अस्वीकार है। वादीगण के जवाब में अतिरिक्त कथन के अनुसार वादवर्णित आराजीयात में वादीगण का 2/54 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/18 हिस्सा है। उक्त हिस्से अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। वादवर्णित आराजीयात में प्रार्थिया विमला का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा स्वामित्व नही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को स्वयं, इनके नोकर चाकर, हाली सीरी, सगे सम्बन्धी, एजेन्ट मुख्यत्याराम इत्यादि को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण अन्तरण इत्यादी नही करें। जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पक्षकारान की ससम्मान बहस सुनी गई।

आदेश

वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया, पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के विरूद्ध अनुतोषत चाहा गया है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही वादवर्णित आराजीयात का विमला देवी पत्नि सत्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी खवास तहसील केकड़ी के नाम दिनांक 11.06.2019 को ही विक्रय पत्र रजि० करवा दिया था, जिससे वादवर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 का कोई संबंध सरोकार नही रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 का स्वीकार किया जाता जाकर वादपत्र में कोई वाद कारण निहित नही रहने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

रघुवीर सिंह वगै0 बनाम रामदयाल वगै0
अंतर्गत धारा 88,89,188,209, राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी

आदेश

दिनांक 2.8.2022

प्रार्थिया श्रीमति विमला देवी पत्नि सत्यप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला-अजमेर राज.) की ओर से निम्न निवेदन है कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आप तारीख पेशी दिनांक 14–2–22 नियत है। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 674–607 खसरा संख्या 2918 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2926 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2929 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म जाव 1, खसरा संख्या 2930 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2931 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चाही 1, कुल किता 5 रकबा 0.25 हैक्टर खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन, इलायची पुत्री रामकिशन जाति दरोगा निवासी खवास तहसील केकड़ी का 1/12 हिस्सा जो उनमें कब्जे काश्त खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही थी। जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थिया के पक्ष में बेचान कर दिया था। जो बेचान की गयी दिनांक से प्रार्थिया का कब्जा स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी उपयोग उपभोग में चली आ रही है । प्रार्थिया ने रिकॉर्डेड खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन, इलायची पुत्री रामकिशन जाति दरोगा निवासी खवास ने प्रतिफल प्राप्त करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2019 को खरीद की है। प्रार्थिया खरीदशुदा आराजीयात में 1/12 हिस्सा आराजी की खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थिया के खरीद की दिनांक से ही कब्जे स्वामित्व खातेदारी उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही है। अतः प्रार्थिया उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थिया वाद वर्णित आराजीयात 1/12 हिस्सा जो रिकॉर्डेड खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन व इलायची पुत्री रामकिशन ने विक्रय प्रतिफल की राशि अदा करके सदभावी रूप से क्रय की है जिसकी जानकारी वादीगण प्रार्थीगण को होने के बावजूद भी प्रार्थिया को वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो बनाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थिया का वाद वर्णित आराजीयात में 1/12 हिस्सा निहित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया का हित निहित है। यदि उसे पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो प्रार्थिया के हक अधिकार प्रभावित होंगे। प्रार्थिया आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थिया को प्रतिवादी के रूप में उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है। प्रार्थिया का उक्त प्रकरण में बातचीत होते ही पक्षकार बनने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर दिया है। अतः वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा प्रार्थिया के पक्षकार बनाने से विचारण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि प्रार्थिया को पक्षकार नहीं बनाया जाता है। प्रार्थिया के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । अतः पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है। प्रार्थिया को उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही पक्षकार बनने हेतु अवलिम्ब आवेदन पेश कर रही है जो सद्भाविक है। प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर रही है बल्कि वाद वर्णित आराजी में हित निहित होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थिया को उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

वादी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो निम्नानुसार है

उक्त प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 में वर्णित कथन स्वीकार है प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 लगायत 5 में वर्णित कथन प्रार्थीया स्वयं ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 लगायत 8 कानूनी है तथा शेष प्रार्थना अस्वीकार है वादी द्वारा अतिरिक्त कथन कर बताया कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात पुश्तैनी एवं संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

रघुवीर सिंह वगै0 बनाम रामदयाल वगै0
अंतर्गत धारा 88,89,188,209, राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी

आदेश

दिनांक 2.8.2022

प्रार्थिया श्रीमति विमला देवी पत्नि सत्यप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला-अजमेर राज.) की ओर से निम्न निवेदन है कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आप तारीख पेशी दिनांक 14–2–22 नियत है। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 674 607 खसरा संख्या 2918 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2926 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2929 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म जाव 1, खसरा संख्या 2930 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 2931 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चाही 1, कुल किता 5 रकबा 0.25 हैक्टर खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन, इलायची पुत्री रामकिशन जाति दरोगा निवासी खवास तहसील केकड़ी का 1/12 हिस्सा जो उनमें कब्जे काश्त खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही थी। जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थिया के पक्ष में बेचान कर दिया था। जो बेचान की गयी दिनांक से प्रार्थिया का कब्जा स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी उपयोग उपभोग में चली आ रही है । प्रार्थिया ने रिकॉर्डेड खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन, इलायची पुत्री रामकिशन जाति दरोगा निवासी खवास ने प्रतिफल प्राप्त करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2019 को खरीद की है। प्रार्थिया खरीदशुदा आराजीयात में 1/12 हिस्सा आराजी की खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थिया के खरीद की दिनांक से ही कब्जे स्वामित्व खातेदारी उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही है। अतः प्रार्थिया उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थिया वाद वर्णित आराजीयात 1/12 हिस्सा जो रिकॉर्डेड खातेदार रामदयाल पिता रामकिशन व इलायची पुत्री रामकिशन ने विक्रय प्रतिफल की राशि अदा करके सदभावी रूप से क्रय की है जिसकी जानकारी वादीगण प्रार्थीगण को होने के बावजूद भी प्रार्थिया को वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो बनाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थिया का वाद वर्णित आराजीयात में 1/12 हिस्सा निहित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया का हित निहित है। यदि उसे पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो प्रार्थिया के हक अधिकार प्रभावित होंगे। प्रार्थिया आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थिया को प्रतिवादी के रूप में उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थिया का उक्त प्रकरण में बातचीत होते ही पक्षकार बनने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर दिया है। अतः वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा प्रार्थिया के पक्षकार बनाने से विचारण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा वल्कि प्रार्थिया को पक्षकार नहीं बनाया जाता है। प्रार्थिया के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । अतः पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक है। प्रार्थिया को उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही पक्षकार बनने हेतु अवलिम्ब आवेदन पेश कर रही है जो सदभाविक है। प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर रही है बल्कि वाद वर्णित आराजी में हित निहित होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थिया को उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के रूप मे आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

वादी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो निम्नानुसार है

उक्त प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 में वर्णित कथन स्वीकार है प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 लगायत 5 में वर्णित कथन प्रार्थीया स्वयं ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 लगायत 8 कानूनी है तथा शेष प्रार्थना अस्वीकार है वादी द्वारा अतिरिक्त कथन कर बताया कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात पुश्तैनी एवं संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपतय की आराजीयात है

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner